राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद
शासन सचिवालय जयपुर

कमांक एफ 2(62) (3)ग्रावि–3/नरेगा/2009–10 जयपुर दिनांक 15/10/2009.

परिपत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत पंचायत समिति आसपुरी जिला बांसवाड़ा के लेखा वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 की वित्त विभाग द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से विशेष जांच करवाई गई। विशेष जांच प्रतिवेदन में योजना के कियान्वयन में निम्नानुसार गंभीर अनियमितताऐ पाई गई :–

1. **निधियो का गबन**– एक ही कार्य को दो बार प्रथक्–प्रथक् योजनाओं में स्वीकृत करना, नगद अवशेष को रोकड़ पुस्तिका में अग्रेषित न कर धन का अपहरण, बिना बिल वाऊचर के राशि को रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज कर गबन, मस्टररोल में फर्जी प्रविष्टियां का इन्द्राज कर गबन, आदि।
2. **क्रय में अनियमिताएं**– सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रावधानो के विरूद्ध सामग्री का क्रय, स्टॉक रजिस्टर में सामग्री इन्द्राज का अभाव, बाजार दरों से अधिक दरों पर सामग्री क्रय, बिना मांग एवं आंकलन के सामग्री क्रय आदि।
3. **मस्टररोल संधारण संबंधी अनियमितताऐ**– मस्टररोल में आवश्यक प्रविष्टियों का अभाव जैसे कि श्रमिक का नाम, जॉब कार्ड नं. आदि का इन्द्राज न करना, मस्टररोल का रोकड़ बही में दोहरी प्रविष्टि कर दोहरा भुगतान आदि।
4. **कार्यो संबंधी अनियमितताऐं**– 90 प्रतिशत कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात कार्यों को निरस्त करना, कार्यो का लम्बे समय तक अपूर्ण रहना, कार्यस्थल पर प्रदर्शन बोर्ड का अभाव, एक ही प्रकृति के कार्य एक ही स्थान पर दो प्रथक्–प्रथक् योजनाओं में स्वीकृत किया जाना आदि।
5. **अन्य अनियमितताऐं**– रोकड़ संधारण में अनियमितताऐ स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना, ऋणात्मक अवशेष के उपरान्त अनियमित क्रय, अंकेक्षण के किया–कलाप के प्रति उदसीनता आदि।

संदर्भित वित्तीय अनियमितताओं के क्रम यह निर्देशित किया जाता है कि योजना के कियान्वयन में इस प्रकार की अनियमितता अन्य जिलों में भी हो सकती है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि योजनान्तर्गत प्राप्त निधियो का उपयोग योजना के प्रावधानों के अनुसार ही हो तथा क्रय प्रकरणों, रिकार्ड संधारण, कार्यों की स्वीकृति तथा पूर्णता के क्रम में वित्तीय नियमों तथा योजना के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। योजना के कियान्वयन में धनराशि के दुरूपयोग आदि गम्भीर अनियमितताएं सामने आती हैं तो इसकी तत्काल जांच करवाकर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो पार्ट–I के नियम 20, 22 व प्ररिशिष्ट–3 के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा अनियमितताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। उक्त आदेशों की पालना कठोरता से किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेन्द्र माणवत) 14/10
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम राजस्थान को प्रेषित लेख है कि इस क्रम में आवश्यक निर्देश समस्त कार्यकारी ऐजेसियों को प्रसारित किये जावे।
4. समस्त अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस